न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 28/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2022/254**
दायर दिनांक :— 03.02.2022 **निर्णय दिनांक :— 02.06.2025**

1. अर्जुनराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. बाबूराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. भागीरथराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. रामनिवास पुत्र भागीरथ जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. किसनाराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. मालाराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. सुभाष पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

सहायक कलक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

उपस्थित :— 1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री राजेन्द्रसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 2, 3

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 ता 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 60.5110 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 55/1 रकबा 6.5721 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 55/2 रकबा 3.5612 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 55/3 रकबा 3.7879 हैक्टेयर सरहद मौजा श्रीरामपुरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर रहवासीय ढाणीयां, पानी के टांके व पशुओं के लिए बाडे इत्यादि बना रखे है। जिसमें प्रार्थीगण परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। लेकिन पटवारी हल्का ने अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 से मिलावट कर सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण को सूचित किये बगैर सेग्रिकेशन योजना के तहत नक्शा ट्रेस में तरमीम अपनी मनमर्जी से कब्जा व काश्त के विपरित कर दी है जो सरासर गलत

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

एवं विधि विरूद्ध है। जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 का मौके पर कब्जा एवं काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आजदिन तक लगातार चला आ रहा है। इसलिए ग्राम श्रीरामपुरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 55 रकबा 7.5110 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55/1 रकबा 6.5721 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55/2 रकबा 3.5612 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 55/3 रकबा 3.7879 हैक्टेयर भूमि के नक्शा ट्रेस में की गई विधि विरूद्ध तरीके से की गई तरमीम को निरस्त करवाने एंव प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिनन भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोलंकी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 की ओर से कोई उपस्थित नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम श्रीरामपुरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 55 रकबा 7.5110 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55/1 रकबा 6.5721 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 55/2 रकबा 3.5612 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 55/3 रकबा 3.7879 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के जवाब एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम खातेदारान के कब्जा व काश्त, अनुसार नक्शा लट्ठा में अंकित है इसी अनुसार वर्तमान भू–नक्शा में भी अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/6/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)